कार्यालय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

मानचित्र संख्या 19 880/जीएमपी/मल्टीप्लेक्स/11-12 दिनांक : 18/5/13

मै. एम.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा.लि.
द्वारा श्री विजय कुमार
190, सैनी एन्क्लेव, दिल्ली।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.11 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आपके प्रस्तावित मल्टीप्लेक्स मानचित्र खसरा संख्या 542, 898 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 19.11.12 के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:

1- यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2- मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
3- भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4- यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5- जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय / प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदार नहीं है।
6- दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क पर न खुले।
7- बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अंदर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। विद्युत नियमो के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जायेगा
8- सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9- स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10- यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11- सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12- सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम / शर्तों का पालन करना होगा। मानचित्र स्वीकृत पत्र पर अंकित शर्तों के
13- पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 14.02.2012 का पालन करना होगा। अधीन मानचित्र निर्गत किया जाता है।
14- पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक हेक्टेयर 50 पेड़ लगाना अनिवार्य होंगे।
15- स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16- 12.00 मी0 से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
17- संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18- भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने होंगे।
19- निर्धारित 45 मीटर महायोजना मार्ग में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोड़ते हुए निर्माण / विकास कार्य किया जायेगा। बाउण्ड्री वाल का निर्माण रोड वाइडिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
20. 15% आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु छोड़ना होगा।
21. भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/ विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिन्हित कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
22. उक्त क्षेत्र में 75% बाहय विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जायेंगे।
23. प्रस्तुत बैंक एफ.डी.आर. की वैधता तिथि समाप्त होने से पूर्व स्वयं बढ़वाकर प्रस्तुत करनी होगी, न बढ़वाये जाने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा।
24. नाली, चकरोड, ग्राम समाज व [illegible] / सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/ विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
25. उ.प्र. चलचित्र नियमावली 1951 के अन्तर्गत मल्टीप्लेक्स के निर्माण की औपचारिक अनुमति जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद से प्राप्त करनी होगी।
26- <u>अतिरिक्त शर्तें स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न हैं जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।</u>

संलग्नक : 1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

18/5/13

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक
गा0वि0प्राधिकरण, गाजियाबाद

पत्रांक : एमपी/ दिनांक

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक